

संपादकीय
सुरक्षित रहे निजता

विषयक के विरोध के बाद निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को संसद की संयुक्त प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। यह समिति बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि तब तक इस पर उठाई गई तमाम आपत्तियों के समाधान ढूँढ़ तिथे जाएंगे और बिल को सर्वस्वीकार्य रूप दिया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि उसने देश में व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही इसे तैयार किया है, जबकि विषयक और तमाम कानूनी विशेषज्ञों के अलावा कई संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। इस विधेयक के तहत पर्सनल डेटा के इस्तेमाल से पहले उपभोक्ता व्यापक की मंजूरी जरूरी लेनी होगी, जबकि बायोमेट्रिक डेटा के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। बच्चों के लिए इस मामले में सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। सभी कंपनियों को अपने डेटा की तमाम जानकारियां सरकार के साथ शेयर करनी होंगी।

विधेयक में डेटा के स्थानीय अंडारण पर बल दिया गया है। भारतीयों का संवेदनशील डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा और कुछ सीमित डेटा ही विदेश में स्टोर किया जा सकेगा। विधेयक में सरकार को फेसबुक और गूगल समेत तमाम विदेशी कंपनियों से गोपनीय निजी डेटा और गैर-निजी डेटा के बारे में पूछें का अधिकार दिया गया है। निजी डेटा की चोरी करने वाली कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें सरकारी एजेंसियों को क्रेडिट स्कोर, कर्ज वसूली और सुरक्षा से जुड़े मामलों में डेटा मालिक की सहमति के बिना भी उसकी डेटा प्रैसेंसिंग करने की छूट दिए जाने का प्रावधान है। सरकार को अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी एजेंसी को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के कायरे से छूट दे सके। इंटरनेट अपने के बाद से निजी सूचनाओं की सुरक्षा का सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। इस तकनीक ने जहां हमारे रोजमर्या जीवन में सहृदायितें पैदा की हैं, वही हमारी गोपनीयता में सेंध भी लगाई है। दरअसल इंटरनेट से जुड़ने का मतलब ही है कि हमें अपनी निजी सूचनाएं साझा करनी पड़ेंगी।

डेटा सुरक्षा की किसी मुकम्मल व्यवस्था के अभाव में एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और नेटबैंकिंग में फर्जीवाई की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजनीतिक दल चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डेटा की फिराक में रहते हैं और सरकार भी नीतियां बनाने वाले डेटा को लेकर उत्सुक रहती हैं। इसलिए डेटा संरक्षण को कानूनी जाम पहनाने की जरूरत महसूस की जा रही है लेकिन इसमें चुनौती संतुलन बनाने की है। गोपनीयता को लेकर समझौता तभी किया जा सकता है जब कोई निजी सूचनाओं का कुरुपोग न कर सके। इसके लिए एक लक्षणरेखा तय करने की बात है। कई देशों ने इसके लिए कानून बनाए हैं। हमें भी एक सख्त कानून की जरूरत है लेकिन इसकी आई में सरकार या किसी निजी एजेंसी को अंकड़ों पर अनियन्त्रित अधिकार नहीं सौंपा जा सकता। देखें, अंतिम तौर पर यह बिल किस रूप में सामने आता है।

बहुत गुणकारी है शहद, जानिए इससे होने वाले 6 फायदों के बारे में



यदि किसी लंबे समय से खांसी बनी हुई है तो शहद का पाउडर मिलाकर छांसी से राहत लिया सकता है।

बजन कम करने में फायदेमंदः - यदि कोई अपना बजन कम करना चाहता है तो रोज सुख खाली पेट गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पीने से

उतना ही इसके गुणों में इनाफा होता है। तो आइए जाने शहद से होने वाले 6 फायदों के बारे में।

शहद से होने वाले फायदे

- शहद और नींबू डालकर पीने से

</